न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड़

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 30/2020 (75 एलआरए) रमेश वगै. बनाम राजस्थान सरकार
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00005)

1 श्री रमेश पुत्र शंकरलाल कहार निवासी परथीपुरा प0म0 सरड़ा तहसील अकलेरा

..... अपीलांट्

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ राजस्थान

..... रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश तहसीलदार अकलेरा
दिनांक 23.10.2019 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 989/2019

उपस्थित :

1 अपीलांट् की ओर से अधिवक्ता श्री अमरसिह लववंशी
2 रेस्पोडेंट की ओर से पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 16.03.20

1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार अकलेरा के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 989/2019 में पारित आदेश दिनांक 23.10.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू–राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 989/2019 पटवारी हल्का सरड़ा की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया प्रार्थी उपस्थित उक्त आराजी पर कब्जा होना स्वीकार किया हमने पटवारी के बयान लिये जो शामील पत्रावली किये गये बयान पटवारी के अनुसार अतिक्रमी रमेश पुत्र शंकर जाति कहार

निवासी पिरथीपुरा प0म0 सरड़ा ने ग्राम पिरथीपुरा की आराजी ख0न0 13 व 14 किस्म चारागाह की 15.00 बीघा भूमि पर सम्वंत 2076 में नाजायज कब्जा कर मक्का व तिल व चारा काश्त किया है । अतिक्रमी का इस आराजी पर पूर्व में भी सम्वंत 2075 में कब्जा था जिस पर से अतिक्रमी को बेदखल किया गया था। अतिक्रमी द्वारा पुनः नाजायज कब्जा करने से पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः अतिक्रमी श्री रमेश पुत्र शंकरलाल जाति कहार निवासी पिरथीपुरा को उक्त आराजी पर नाजायज कब्जा करने के अपराध में अतिक्रमित भूमि के बेदखल करने तथा वार्षिक लगान 10.50 रूपेय के 50 गुना अर्थात 525 रूपये के आर्थिक दण्ड एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के अपराध में भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 माह (60) दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है । मौके पर फसल जप्त सरकार किया जाकर नीलामी करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की हेतु संबंधित भू0अ0निरीक्षक व पटवारी को लिखा जावे। अतिक्रमी को गिरफ्तार कर प्रस्तुत करने हेतु थानाधिकारी भालता को गिरफ्तारी वारन्ट भिजवाये गयें। अपीलांट् ने उक्त निर्णय से व्यथित होकर इस न्यायालय में अपील पेश की है। अपील के साथ धारा 5 मियाद कानून के अन्तर्गत प्रा0पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अन्दर मियाद स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2019 को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

2 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अमरसिह लववंशी ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को नोटिस की विधिवत रूप से तामील नही करवाई गई हैं। अपीलान्ट का कोई कब्जा नही है , फसल जप्ती का रेकार्ड भी नही है। अपीलान्ट का 15 बीघा आराजी पर कब्जा होना बताया गया है जो कतई उचित नही है । अपीलान्ट ने उक्त आराजी पर से पूर्व में कब्जा छोड़ दिया था उसने कोई फसल नही बोई लेकिन पटवारी हल्का की रिपोर्ट मनमानी झूँठी पेश करने की वजह से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निर्णय सुनाया गया है । उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्ट का उस समय लगी जब पुलिस का सिपाही सम्मन लेकर आया अपीलान्ट ने उसी समय अधीनस्थ न्यायालय से नकल 18.11.19 को प्राप्त कर बिना देरी से वकील सा0 से सलाह कर अपील पेश की है। जो अन्दर मियाद मानी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2019 निरस्त फरमाया जावे

4 रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश विधि अनुसार पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट अतिक्रमी है जिसके समर्थन में रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध है तथा पटवारी हल्का की साक्ष्य ली गई है जो पर्याप्त है। कब्जा छोड़ने का कोई शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। अतः अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा–5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। प्रकरण के तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मध्य नजर एवं रेस्पोडेंट द्वारा प्रा0पत्र का कोई जवाब या खण्डन में काउंटर शपथ पत्र पेश नही करने के कारण अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7 अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में पहला तर्क यह दिया है कि अपीलांट्स को विधिवत तामील नहीं हुई ओर ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया हैं। पत्रावली में उपलब्ध नोटिस की प्रति पर अपीलान्ट के भतीजे के हस्ताक्षर हो रहे है, जिसकी सूचना पर अपीलान्ट दिनांक 22.10.2019 सरडा हाजिर हुआ जिसके अंगूठा निशानी आर्डर शीट पर हो रहे है अपीलान्ट को आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.10.2019 को अकलेरा उपस्थित होने हेतु कहा गया जिस पर अपीलान्ट दिनांक 23.10.2019 को अकलेरा उपस्थित हुआ जिसके कारण अपीलान्ट का पहला तर्क स्वीकार योग्य नही है।

अपीलांट के अधिवक्ता का दूसरा तर्क है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट मनमानी एवं झूठी पेश करने की वजह से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निर्णय पारित किया गया है। इस संबध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी सम्वंत 2075 में उक्त आराजी पर कब्जा किया गया था जिसका वर्णन पटवारी हल्का द्वारा अपने बयान में किया गया है। जिसके कारण से दूसरा तर्क भी स्वीकार योग्य नही है।

8 उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट को नोटिस की प्रोपर तामील होने के कारण ही दिनांक 30.08.19 को मुकाम सरड़ा पर हाजिर हुआ जिसे आगामी दिनांक 23.10.19 को अकलेरा उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया एवं उक्त दिनांक को उपस्थित होकर उसके द्वारा ग्राम पिरथीपुरा तहसील अकलेरा की आराजी ख0न0 13 व 14 की 15 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया है। चूँकि अपीलान्ट द्वारा सम्वंत 2075 में भी उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया गया था जो पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट द्वारा इस अपील में जो

आक्षेप उठाये गये है, उनमें भी ऐसे कोई कानूनी बिन्दु नही है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.19 में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन प्रतीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9 अतः अपील अपीलांट सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिंज की जाती है ।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

10 निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2020.03.16 20:27:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: